

अपील(सू.का.अ)संख्या 70 / 2025 बउनवानी घनश्याम सिंह बनाम तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा
GCMS No-2025/ 206

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर


तारीख हुकम
20.8.2025

हुकम या कार्रवाही मय इनिशियल जज

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "ग्राम ईसरदा की भूमि ख0न0 4585,4610,4613 के संबंध में कुल चार बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना" तहसीलदार चौथ का बरवाडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: भू0अ0/सूकाअ/2025/229 दिनांक 11.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.6.2025 से चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 3 की आंशिक एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत जवाब में अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 3,4 की सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

